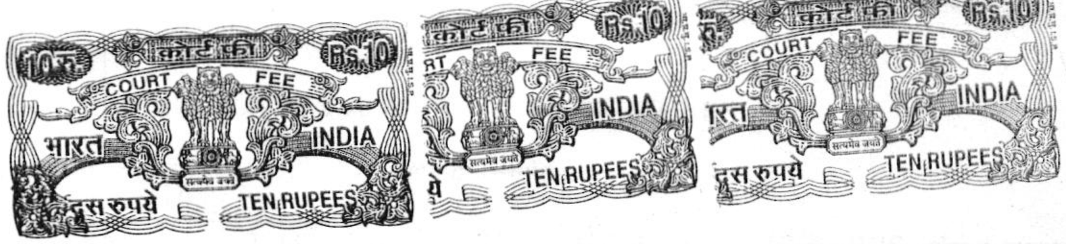

78

न्यायालय– राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2017 नि.माल. PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2135

1. महेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, निवासी– शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर
2. रमेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा,
3. श्रीमती विमलादेवी शर्मा पत्नी महेन्द्र शर्मा,
4. रामऔतार पुत्र ख्यालीराल, शर्मा,

समस्त निवासीगण–पाटनकर चौराहा, लश्कर, ग्वालियर द्वारा मुख्त्यारआम महेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री बी.पी. शर्मा ——**प्रार्थीगण**

दिनांक 10.7.17 को श्री अजय शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत। 10.7.17

बनाम

म.प्र. शासन ——**प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, ग्वालियर प्रकरण कमांक 45/2016–17/अपील आदेश पारित दिनांक 12/06/2017 विरूद्ध आदेश पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुरार प्रकरण कमांक 05/15–16/172(5) आदेश पारित दिनांक 11/04/2017।

Ajay अजयशर्मा एड 10/7/17.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/पुनर्विलोकन / ग्वालियर / भू.रा. / 2017 / 2135

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 12–6–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेश से अपर कलेक्टर द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि प्रकरण अवैध रूप से मैरिज गॉर्डन संचालन का है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने एवं उसके दस्तावेजों के अवलोकन किये बिना स्थगन देना न्यायोचित नहीं है, जो कि प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	